दस रुपये TEN RUPEES

438

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–छतरपुर R 1558-III/14

विनोद निगम पुत्र श्री बाबूलाल निगम निवासी – पवैथर तहसील गोरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.) ...... आवेदक

विरूद्ध

1. श्रीमती ज्ञाननिगम पत्नी विनोद निगम निवासी – पवैथर तहसील गोरिहार जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. श्रीमती माया पुत्री बाबूलाल पत्नी अशोक निगम निवासी रामपुर नैकिन तहसील व जिला सीधी (म.प्र)
3. अशोक कुमार निगम पत्नी बाबूलाल निगम निवासी – पवैथर तहसील गोरिहार हालनिवास चंदला रोड लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2012–13 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.10.2013 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर का आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो अपील प्रस्तुत की गयी थी। उसके विचाराधीन रहते हुये अनावेदक क्रमांक 1 न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी पर जानबूझकर उपस्थित नहीं हुयी थी ऐसी स्थिति में उसकी अपील अनुपस्थिति के आधार पर अदम पैरवी में खारिज की गयी थी। यह आदेश दिनांक 17.09.2014 को पारित किया गया था किन्तु बाद में उक्त तारीख को 17.09.2013 कर दिया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही शंकास्पद होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को लाभ पहुचाने के उद्देश्य से आदेश दिनांक 07.09.2013 के स्थान पर 17.09.2013 लिखा गया है एवं इस स्पष्ट लाभ अनावेदक क्रमांक 1 को दिया जाकर उसका रेस्टोरेशन आवेदन पत्र दिनांक 17.10.2013 को स्वीकार कर लिया गया है जो नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
4. यहकि, अनावेदक क्रमांक 1 का रेस्टोरेशन आवेदन पत्र स्पष्टतः अवधि वाह्य था ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता है इस वैधानिक तथ्य पर विचार किये बिना जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी- 1558- तीन/2014 **जिला-छतरपुर**

विनोद निगम विरूद्ध श्रीमती ज्ञाननिगम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11 -01-2019 11.01.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 11//2012-13 में पारित आदेश दिनांक 17-10-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-05-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया	

जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 11.01.19
सदस्य